मूल वाद में फाइनल डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा (राज.)

1.हुकमचन्द
2.हीरालाल
3.हजारीलाल
4.जमनाबाई
5.ग्यारसीबाई
6.आनन्दीबाई उर्फ रूकमणी
7.सुगना बाई
8.रानी बाई
9.राधा बाई पिसरान श्री कान्हा जी जाति लश्करी निवासीगण ग्राम नयागांव किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा

बनाम

1.धनपाल
2.रमेशचन्द्र
3.सत्यनारायण पिसरान श्री छीतरलाल जी जाति मालव धाकड़ निवासी ग्राम भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4.प्रेमचन्द आत्मज श्री छीतरलाल जी मृतक जर्ये कायममुकान—
4/1.श्रीमति कमलेश पत्नी श्री प्रेमचन्द जी
4/2.प्रियंका
4/3.अंजली पुत्रियॉ श्री प्रेमचन्द जी जाति मालव धाकड़
4/4.दिलभरता
4/5.ज्योति
4/6.श्यामा
4/7.लक्ष्मी
4/8.दिव्यांशु नाबालिग पुत्रियॉ श्री प्रेमचन्द जी जर्ये वली माता श्रीमति कमलेश पत्नी स्व0 प्रेमचन्द जी जाति मालव धाकड़ निवासीगण ग्राम भदाना तहसील लाडपुरा
5.लालचन्द
6.हीरालाल पिसरान श्री श्रवणलाल जी जाति लोधा निवासीगण भदाना तहसील लाडपुरा
7.चौथमल आत्मज श्री श्रवणलाल जी जाति लोधा मृतक जर्ये कायममुकान—
7/1.सोहनीबाई पत्नी श्री चौथमल जी
7/2.वरूण कुमार आत्मज श्री चौथमल जी
7/3.मीना कुमारी पुत्री श्री चौथमल जी जाति लोधा निवासीगण भदाना लाडपुरा
7/4.सुनिता बाई पुत्री श्री चौथमल जी जाति लोधा निवासी भदाना
8.मुकुटबिहारी आत्मज श्री श्रवणलाल जी जाति लोधा मृतक जर्ये कायम मुकाम—
8/1.कपिल आत्मज श्री मुकुटबिहारी जी
8/2.अमित
8/3.लक्ष्मी
8/4.रेखा नाबालिग पुत्रियॉ श्री मुकुटबिहारी जी
8/6.अनिता बाई पत्नी स्व0 मुकुटबिहारी जी जाति लोधा निवासीगण ग्राम भदाना लाडपुरा
9.राजेश कुमार पुत्र श्री लटूरलाल जी जाति खटीक निवासी ग्राम भदाना
10.धन्नी बाई पत्नी श्री छीतरलाल जी मृतक नाम डिलीट किया
11.पांथू आत्मज श्री रोडू जी मृतक नाम डिलीट किया
12.मथुरालाल
13.मोतीलाल
14.औंकार
15.गोपीलाल पिसरान श्री कृष्ण जी जाति लश्करी निवासीगण ग्राम नयागांव किशनपुरा तकिया लाडपुरा
16.कैलाश पुत्री कृष्ण जी पत्नी श्री किशोर जी लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा
17.अयोध्या बाई पुत्री श्री कृष्ण जी पत्नी श्री कैलाश जी निवासी खेड़ली

फाटक
18.जयन्ति बाई पुत्री श्रीकृष्ण जी लश्करी निवासी नयागांव किशनपुरा तकिया
19.कस्तूरी बाई बेवा श्रीकृष्ण जी लश्करी निवासी नयागांव किशनपुरा तकिया
20.हरल्या आत्मज श्री नारायण जी लश्करी निवासी नयागांव किशनपुरा तकिया
21.रामरतन
22.मनोहर पिसरान श्री बिहारीलाल जी लश्करी निवासीगण नयागांव किशनपुरा तकिया
23.कल्याणी बाई पुत्री बिहारीलाल जी पत्नी बालचन्द जी लश्करी निवासी ग्राम नयागांव किशनपुरा तकिया लाडपुरा
24.गिर्राजबाई पुत्री बिहारीलाल जी पत्नी अनिल जी लश्करी निवासी पुरोहित जी की टापरी के पास लाडपुरा
25.धन्नी बाई बेवा बिहारीलाल जी लश्करी निवासी नयागांव किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा कोटा
26.राजस्थान राज्य जर्ये तहसील लाडपुरा जिला कोटा

-:: वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ::-

मुकद्मा नं. **26/2019 (दावा)**

इस वाद में आज तारीख को वादी के वाद में फाइनल डिक्री जारी की जाती है कि वादी का वाद अस्वीकार योग्य होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है । वाद के खर्चे लेखे ... X ....रूपये की राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर... X ...प्रतिषत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित .... X .....द्वारा ..... X ....को दी जाए।

यह डिक्री आज तारीख 13 माह 05 सन् **2025** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	प्रतिवादी	रूपये
1. वादपत्र के लिये स्टाम्प		शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प	
2 शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प		अर्जी के लिये स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिये स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों केलिये निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2019/00051
मिसल नम्बर–26/19

1.हुकमचन्द
2.हीरालाल
3.हजारीलाल
4.जमनाबाई
5.ग्यारसीबाई
6.आनन्दीबाई उर्फ रूकमणी
7.सुगना बाई
8.रानी बाई
9.राधा बाई पिसरान श्री कान्हा जी जाति लश्करी निवासीगण ग्राम नयागांव किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–वादीगण

बनाम

1.धनपाल
2.रमेशचन्द्र
3.सत्यनारायण पिसरान श्री छीतरलाल जी जाति मालव धाकड़ निवासी ग्राम भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4.प्रेमचन्द आत्मज श्री छीतरलाल जी मृतक जर्ये कायममुकान–
4/1.श्रीमति कमलेश पत्नी श्री प्रेमचन्द जी
4/2.प्रियंका
4/3.अंजली पुत्रियॉ श्री प्रेमचन्द जी जाति मालव धाकड़
4/4.दिलभरता
4/5.ज्योति
4/6.श्यामा
4/7.लक्ष्मी
4/8.दिव्यांशु नाबालिग पुत्रियॉ श्री प्रेमचन्द जी जर्ये वली माता श्रीमति कमलेश पत्नी स्व0 प्रेमचन्द जी जाति मालव धाकड़ निवासीगण ग्राम भदाना तहसील लाडपुरा
5.लालचन्द
6.हीरालाल पिसरान श्री श्रवणलाल जी जाति लोधा निवासीगण भदाना तहसील लाडपुरा
7.चौथमल आत्मज श्री श्रवणलाल जी जाति लोधा मृतक जर्ये कायममुकान–
7/1.सोहनीबाई पत्नी श्री चौथमल जी
7/2.वरूण कुमार आत्मज श्री चौथमल जी
7/3.मीना कुमारी पुत्री श्री चौथमल जी जाति लोधा निवासीगण भदाना लाडपुरा
7/4.सुनिता बाई पुत्री श्री चौथमल जी जाति लोधा निवासी भदाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * कोटा *

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

8.मुकुटबिहारी आत्मज श्री श्रवणलाल जी जाति लोधा मृतक जर्ये कायम मुकाम–
8/1.कपिल आत्मज श्री मुकुटबिहारी जी
8/2.अमित
8/3.लक्ष्मी
8/4.रेखा नाबालिग पुत्रियॉ श्री मुकुटबिहारी जी
8/6.अनिता बाई पत्नी स्व0 मुकुटबिहारी जी जाति लोधा निवासीगण ग्राम भदाना लाडपुरा
9.राजेश कुमार पुत्र श्री लटूरलाल जी जाति खटीक निवासी ग्राम भदाना
10.धन्नी बाई पत्नी श्री छीतरलाल जी मृतक नाम डिलीट किया
11.पांथू आत्मज श्री रोडू जी मृतक नाम डिलीट किया
12.मथुरालाल
13.मोतीलाल
14.औंकार
15.गोपीलाल पिसरान श्री कृष्ण जी जाति लश्करी निवासीगण ग्राम नयागांव किशनपुरा तकिया लाडपुरा
16.कैलाश पुत्री कृष्ण जी पत्नी श्री किशोर जी लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा
17.अयोध्या बाई पुत्री श्री कृष्ण जी पत्नी श्री कैलाश जी निवासी खेड़ली फाटक
18.जयन्ति बाई पुत्री श्रीकृष्ण जी लश्करी निवासी नयागांव किशनपुरा तकिया
19.कस्तूरी बाई बेवा श्रीकृष्ण जी लश्करी निवासी नयागांव किशनपुरा तकिया
20.हरल्या आत्मज श्री नारायण जी लश्करी निवासी नयागांव किशनपुरा तकिया
21.रामरतन
22.मनोहर पिसरान श्री बिहारीलाल जी लश्करी निवासीगण नयागांव किशनपुरा तकिया
23.कल्याणी बाई पुत्री बिहारीलाल जी पत्नी बालचन्द जी लश्करी निवासी ग्राम नयागांव किशनपुरा तकिया लाडपुरा
24.गिर्राजबाई पुत्री बिहारीलाल जी पत्नी अनिल जी लश्करी निवासी पुरोहित जी की टापरी के पास लाडपुरा
25.धन्नी बाई बेवा बिहारीलाल जी लश्करी निवासी नयागांव किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा कोटा
26.राजस्थान राज्य जर्ये तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

–:निर्णयः–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,53,188 के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 13/5/25

उपस्थित–

1.श्री तेजमल जैन, अभिभाषक वादीगण

2.श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3, 5 लगायत 7, 8(1) लगायत 8(5), 4(1) लगायत 4(8)

3.श्री रविन्द्र खण्डेलवाल अभिभाषक प्रतिवादीगण 11 लगायत 18 एवं 20 लगायत 25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुयी। प्रकरण निम्न प्रकार है:–

प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 24.05.2018 को अपास्त करते हुये दस्तावेज पेश करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये अतिरिक्त तनकी कायम कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवाद निर्णय पारित करने के निर्देश सहित प्राप्त हुई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,53,188 के तहत् वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र में निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम भदाना तहसील लाडपुरा में वर्तमान में खसरा नंबर 580 की 0.66 खसरा नं0 594 की 2.00, 652 की 2.07, तथा 653 की 0.60 हेक्टर कुल 4 किता की 5.33 हेक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि में वादीगण का 1/15 प्रतिवादी कम 1 का 1/10 प्रतिवादी कम 2 का 1/10 सत्यनारायण का 1/10 प्रेमचंद का 1/10 लालचंद व हीरालाल का 1/6 राजेश कुमार का 1/10 धन्नी बाई का 1/10 हिस्सा दर्ज है। पक्षकारान नाथ्या वल्द भागा व नारायण पांच्या के खातेदारी की भूमि थी। उक्त खातेदारों की भूमि भदाना व नयागांव तकिया में भी थी। नारायण व पांचया के वारिसान एवं नाथ्या के वारिसान के मध्य आपसी सहमति से मौखिक बंटवारा हो गया था और मौखिक बंटवारे में ग्राम किशनपुरा तकिया की भूमि नाथ्या पुत्र भागा के वारिसान के हिस्से में आई थी तथा इसके बदले नारायण व पांच्या के वारिसान को भदाना ग्राम की अधिक भूमि दे दी थी इस प्रकार ग्राम किशनपुरा तकिया की निम्नलिखित भूमि पर वर्षों से वादीगण को उनके पूर्वजों के कब्जे में रही है। खसरा नंबर 123 की 0.25 खसरा नंबर 349 की 0.04 खसरा नंबर 352 की 0.03 खसरा नंबर 372 की 1.59 कुल 4 किता की 1.91 हेक्टेयर स्थित है। नारायण एवं पांच्या के वरिसान का नाम किशनपुरा तकिया में भी दर्ज है किशनपुरा तकिया की भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा पांच्या पुत्र रोडू का 1/4 हिस्सा, मथुरा लाल मोतीलाल औंकार गोपीलाल पुत्रान व कैलाश अयोध्या वेजयंती पुत्रिया कस्तूरी बेवा श्री कृष्णा 1/12 राम रतन, मनोहर पुत्रान बिहारी लाल कल्याणी बाई गिर्राज बाई पुत्रियां बिहारी लाल व धन्नी बाई बेवा बिहारी लाल 1/12 हिस्सा दर्ज है जबकि इनका कोई हिस्सा इस भूमि में नहीं है तथा आज भी समस्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण 11 लगायत 25 ने केवल मात्र किशनपुरा तकिया की भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज होने के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है जबकि भदाना की वह अपने संपूर्ण हिस्से की भूमि से अधिक विक्रय कर चुके हैं इस कारण प्रतिवादी कम 11 लगायत 25 का भदाना की भूमि में नाम नहीं है। प्रतिवादीगण ग्राम किशनपुरा तकिया की जमीन में अपना नाम होने के आधार पर उक्त भूमि को शीघ्रातिशीघ्र विक्रय करने के प्रयास में है इसलिए वादीगण को यह वाद पेश करना पड़ रहा है वाद आवश्यक प्रवृत्ति का होने के कारण धारा 80 जाप्ता दीवानी का भी नोटिस नहीं दिया गया है वैसे भी सरकार के विरुद्ध कोई प्रभावी सहायता भी नहीं चाही गई है इसलिए प्रस्तुत वाद में धारा 80 के नोटिस की छूट प्रदान की जावे। पक्षकारान की ग्राम भदाना में 89 बीघा 4 बिस्वा भूमि थी जो नाथ्या पुत्र श्री भागा 1/2 व नारायण पांच्या पिसरान श्री रोडू जी का 1/2 हिस्सा था इसका विवरण इस प्रकार है खसरा नंबर 234 की 8 बीघा 2 विस्वा खसरा नंबर 240 की 15 बीघा 2 बिस्वा खसरा नंबर 246 की 34 बीघा 4 बिस्वा खसरा नंबर 256 की 31 बीघा 17 बिस्वा कुल 4 किता की 89 बीघा 4 बिस्वा। इस भूमि में से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

नारायण पांच्या पिसरान श्री रोडू जी व उनके वरिसान ने निम्न प्रकार से भूमि विक्रय की है। खसरा नंबर 240 की 15 बीघा 2 बिस्वा हातिम हुसैन पुत्र श्री यासीन अली को सन 1966 में विक्रय कर दी। श्री कृष्ण पुत्र श्री नारायण जी ने खसरा नंबर 246 की 21 बीघा 15 बिस्वा में से 15 बीघा घासीलाल को विक्रय सन 1982 में कर दी। हरल्या पुत्र श्री नारायण ने करीब 7 बीघा भूमि लालचंद व हीरालाल लोधा को विक्रय की। श्री कृष्ण पुत्र नारायण जी ने चौथमल व मुकुट बिहारी को सन 1999 में 7 बीघा करीब भूमि का विक्रय किया। श्री कृष्ण हरल्या पिसरान श्री नारायण जी व राम रतन व श्रीमती धन्नी बाई ने 0.60 हेक्टेयर अर्थात 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि श्रीमती धन्नी बाई पत्नी श्री छीतरलाल को सन 1999 में विक्रय की। हरल्या आत्मज श्री नारायण, रामरतन वगैरा ने 0.66 हेक्टेयर अर्थात 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि प्रेमचंद मालव को 2000 में विकय की। इस प्रकार नारायण व पांच्या के वारिसान ने अपने हिस्से से कहीं अधिक जमीन करीब 55 बीघा ग्राम भदाना के माल में विक्रय कर दी जबकि उनका हिस्सा केवल 45 बीघा के करीब होता था इस तथ्य से भी यह पुष्टि होती है कि पक्षकारो में आपसी सहमति से विभाजन हो गया था और ग्राम किशनपुरा तकिया की भूमी वादीगण के हिस्से में आई थी। अतः प्रार्थना है कि दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादिगण डिक्री किया जाकर ग्राम भदाना की नारायण व पांच्या के वारिसान द्वारा जो अधिक भूमि विक्रय की गई है वह वादीगण के विरुद्ध बेसर घोषित की जावे। तथा आखिरी में जो भूमि चौथमल व मुकुट बिहारी पिसरान श्रवण लाल जाति लोधा को दिनांक 8.7.1999 को विक्रय की गई है तथा हरल्या पुत्र नारायण जी द्वारा लालचंद लोधा व हीरालाल लोधा को 8.7.99 को जो भूमि विक्रय की गई उसे वादीगण के विरुद्ध बेसर घोषित किया जावे तथा पुनः विधि सम्मत विभाजन किया जावे, विकल्प में यह भी निवेदन है कि ग्राम किशनपुरा तकिया की भूमि का केवल मात्र वादीगण का खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादिगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह विवादित आराजी ग्राम भदाना व किशनपुरा तकिया की भूमि को किसी भी प्रकार से स्थानांतरित नहीं करें और न उसे भारयुक्त करें, अन्य कोई सहायता जो प्रकरण की परिस्थितियों में न्यायोचित हो वादी गण को दिलाई जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3, 5 लगायत 7, 8(1) लगायत 8(5) एवं प्रतिवादीगण नम्बर 4(1) लगायत 4(8) की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि वर्णित आराजी का ग्राम भदाना तहसील लाडपुरा में स्थित होना स्वीकार है। साबिक खसरा नंबर 246 भूमि के कैचमेंट में नए खसरा नंबर 580 ग्राम भदाना तथा खसरा नंबर 630 ग्राम गंगायचा तहसील लाडपुरा कायम किया गया था। उक्त आराजीयात में लालचंद हीरालाल प्रतिवादी नंबर 5 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी नंबर 7 व 8 का 1/6 हिस्सा निहित है। नारायण एवं पांच्या के वारिसान व नाथ्या के वारिसान के मध्य आपसी सहमति से मौखिक बंटवारा होना एवं मौखिक बंटवारे में ग्राम किशनपुरा तकिया की भूमि नाथ्या पुत्र श्री भागा के वारिसान के हिस्से में आना तथा इसके बदले में नारायण व पांच्या के वारिसान को ग्राम भदाना की भूमि देना स्वीकार है। प्रतिवादी नंबर 11 लगायत 25 के पूर्वजो द्वारा एवं प्रतिवादी नंबर 11 लगायत 25 द्वारा उन्हें आपसी विभाजन में प्राप्त भूमि का बिक्रय किया गया है। ग्राम किशनपुरा की भूमि के बाबत वर्णित तथ्यों से हम प्रतिवादिगण का कोई संबंध नहीं है वादीगण को ग्राम भदाना की भूमि के संबंध में दावा प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि पूर्व

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

सहखातेदार नारायण एवं पांच्या के वारिसान एवं नाथ्या के वारिसान के मध्य ग्राम किशनपुरा तकिया एवं ग्राम भदाना की भूमि का आपसी सहमति से मौखिक रूप से बंटवारा हो गया था एवं तदनुसार ग्राम भदाना की भूमि नारायण एवं पांच्या के वारिसान के हिस्से में आई थी। प्रतिवादी गण नंबर 11 लगायत 25 नारायण व पांच्या के वारिसान है। उक्त मौखिक बंटवारे की तत्कालीन सहखातेदारान द्वारा पालन की जा चुकी है एक्टअपोन कर लिया था। अतः वादीगण को यह दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है। खसरा नंबर 240 एवं खसरा नंबर 246 की 15 बीघा भूमि के संबंध में नारायण व पांच्या व उनके वारिसान के द्वारा किए गए बेचान के संबंध में हम प्रतिवादिगण को कोई जानकारी नहीं है। हरल्या पुत्र श्री नारायण जी द्वारा प्रतिवादी गण नंबर 5, 6 क्रमशः लालचंद एवं हीरालाल लोधा को जरीये पंजीकृत विक्रय पत्र 7 बीघा भूमि का बेचान करना एवं श्री कृष्ण पुत्र नारायण जी द्वारा प्रतिवादी नंबर 7 व 8 क्रमशः चौथमल एवं मुकुट बिहारी को सन 1999 में 7 बीघा भूमि का विक्रय करना स्वीकार है। वादपत्र में वर्णित श्री किशन, हरल्या पुत्रान श्री नारायण जी, राम रतन व श्रीमती धन्नी बाई द्वारा ग्राम भदाना की 0.60 हेक्टेयर भूमि अर्थात 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि श्रीमती धन्नी बाई पत्नी श्री छीतरलाल जी को सन 1999 में विक्रय करना स्वीकार है। केता धन्नी बाई के पुत्र प्रतिवादिगण उपरोक्त भूमि पर काबिज है। वाद पत्र में लिखे अनुसार हरल्या पुत्र नारायण जी एवं रामरतन वगैरा 0.66 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी नंबर 4 प्रेमचंद मालव को विक्रय करना स्वीकार है। श्री किशन, हरल्या पुत्रान श्री नारायण जी राम रतन एवं श्रीमती धन्नी बाई वगैरह द्वारा विभाजन में प्राप्त एवं ग्राम भदाना की भूमि में से भूमि विक्रय की गई है। इस संबंध में वादीगण द्वारा बावजूद जानकारी के यह दावा प्रस्तुत करने से पूर्व कोई आपत्ति नहीं की थी। इस तथ्य से भी इस बात की पुष्टि होती है कि नाथ्या एवं नारायण व पांच्या के वारिसान द्वारा दोनों गांव की भूमि का आपसी सहमति से विभाजन कर लिया था प्रतिवादि नंबर 4 प्रेमचंद की मृत्यु हो चुकी है उसके द्वारा खरीद शुदा खाते की भूमि पर उसके वारिसान काबिज है। खातेदार हरल्या पुत्र नारायण जी जाति लश्करी निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में उसके खाते व कब्जे की व ग्राम भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नंबर 246, 269, 270, 271, 302 खसरा नंबर 334 की 0.16 हेक्टेयर कुल रकबा 6.43 हेक्टेयर भूमि में से उसके 1/6 हिस्से की भूमि प्रतिवादी गण नंबर 5 व 6 क्रमशः लालचंद हीरालाल पिसरान श्री श्रवण लाल की जाति लोधा निवासीगण ग्राम भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 8.7.99 को 3,12,500 रुपए अक्षरे तीन लाख बारह हजार पांच सौ रूपये में विक्रय प्रतिफल की संपूर्ण राशि प्राप्त कर बेचान कर कब्जा सम्भला दिया था। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर उपरोक्त भूमि हम प्रतिवादीगण केतागण के खाते दर्ज हो चुकी है। वक्त खरीद से ही हम प्रतिवादिगण उपरोक्त खरीदशुदा भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। हम प्रतिवादिगण उपरोक्त भूमि का लगान एवं सिंचाई शुल्क अदा कर रहे हैं। सहखातेदार श्री कृष्ण पुत्र श्री नारायण जी जाति लश्करी निवासी ग्राम किशनपुरा तकिया ने ग्राम भदाना तहसील लाडपुरा की उसके खाते व कब्जे की खसरा नंबर 246, 269, 271, 270, 302 खसरा नंबर 334 की 0.16 हेक्टेयर 6 किता की 6.43 भूमि में से उसके 1/6 हिस्से की भूमि प्रतिवादिगण नंबर 7 व 8 क्रमशः चौथमल व मुकुट बिहारी को जरीये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 8.7.99 को 3,12,500 रुपए अक्षरे तीन लाख बारह हजार पांच सौ रूपये में विक्रय प्रतिफल की संपूर्ण राशि प्राप्त कर बेचान कर

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

कब्जा सम्भला दिया था। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर उपरोक्त भूमि पर हम प्रतिवादी गण नंबर 7 व 8 के खाते दर्ज हो चुकी है। वक्त खरीद से ही हम प्रतिवादी गण नंबर 7 व 8 उपरोक्त खरीदशुदा भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं तथा वर्तमान में भी काबिज है। हम प्रतिवादीगण उपरोक्त भूमि का लगान एवं सिंचाई शुल्क अदा कर रहे हैं। हरल्या पुत्र श्री नारायण जी, रामरतन वगैरा ने 0.66 हेक्टेयर भूमि अर्थात 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि प्रेमचंद मालव प्रतिवादी नंबर 4 को सन 2000 में विक्रय कर दी थी। उपरोक्त भूमि क्रेता प्रेमचंद के खाते दर्ज हो चुकी है प्रतिवादी नंबर 4 प्रेमचंद की मृत्यु हो चुकी है उसके वारिसान पत्नी पुत्र व पुत्रियां उपरोक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादी नंबर 4 के वारिसान कानूनन उपरोक्त भूमि के खातेदार टिनेंट हो गए हैं। वादीगण को यह दावा प्रस्तुत करने के लिए कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वादकारण के अभाव में दावा वादी खारिज होने योग्य है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है की दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी नं0 9 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी के पिता कान्हा के खातेदारी की भूमि ग्राम भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है इसमें खसरा नंबर 246 की 1.41 हेक्टेयर, खसरा नंबर 269 की 1.25 हेक्टेयर, खसरा नंबर 270 की 0.44 हेक्टेयर खसरा नंबर 271 की 0.50 हेक्टेयर, खसरा नंबर 302 की 2.71 हेक्टेयर खसरा नंबर 334 की 0.16 हेक्टेयर कुल 6.45 हेक्टर भूमि जिसमें कान्हा का 1/2 हिस्सा निहित था। खसरा नंबर 302 की रकबा 2.71 है0 भूमि का 0.64 हेक्टेयर का खातेदार कान्हा से जरिए रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 14.5.1997 में खरीद किया गया है तबसे ही उक्त भूमि पर प्रतिवादी नंबर 9 के कब्जे काश्त में है व प्रतिवादी नंबर 9 सद्भाविक क्रेता है। वादीगण मूल खातेदार कान्हा के वारिस है ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र से पाबंद है प्रतिवादी नंबर 9 की भूमि को छोड़कर व प्रतिवादी नंबर 9 के अधिकारों को क्षति पहुंचाये बिना वादीगण के पक्ष में विभाजन किए जाने में प्रतिवादी नंबर 9 को कोई आपत्ति नहीं है अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी नंबर 9 के द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खसरा नंबर 302 की 0.64 हेक्टेयर भूमि को प्रतिवादी नंबर 9 के खाते में किए जाने व वादीगण की भूमि का बंटवारा किए जाने में कोई एतराज नहीं है।

प्रतिवादी नं0 11 लगायत 18 एवं 20 लगायत 25 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आपसी सहमति से कभी भी कोई विभाजन वारिसान के मध्य नहीं हुआ है उक्त विवादित भूमि संयुक्त हिंदू परिवार की शामलाती पेत्रिक आराजी है जिसमें सब वारिसान समान रूप से हिस्सा है तथा अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। विवादित भूमि के संबंध में बंटवारे का वाद मथुरा लाल बनाम हुकुमचंद का श्रीमान के न्यायालय में जेरकार है इसलिए दूसरा वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। प्रतिवादिगण का विवादित आराजी में जमाबंदी के अनुसार हिस्से निहित है जिसको प्रतिवादिगण अपने हिस्से के अनुसार भूमि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी नंबर 19 कस्तूरी बाई का देहावसान हो चुका है इसके वारिसान प्रतिवादी नंबर 12 से 17 पहले से ही रिकॉर्ड पर मौजूद है। वादीगण ने प्रतिवादिगण को तंग व परेशान करने की नियत से वाद पेश किया है। अतः वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

जवाब दावा प्राप्त होने पर प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई–

1. आया वादीगण के पूर्वज नाथ्या व प्रतिपक्षीगण 11 लगायत 25 के पूर्वज नारायण व पांच्या के वारिसान के मध्य ग्राम भदाना व किशनपुरा तकिया की विवादित आराजीयात के सम्बंध में आपसी सहमति से बंटवारा हो गया था।

वादीगण

2. आया आपसी सहमति से हुये विभाजन के अनुसार ग्राम किशनपुरा तकिया की भूमि नाथ्या के वारिसान के हिस्से व ग्राम भदाना की भूमि नारायण व पांच्या के हिस्से में आई है।

वादीगण

3. आया वादीगण ग्राम किशनपुरा तकिया की वादग्रस्त भूमि के खातेदार घोषित किये जाने के अधिकारी है।

वादीगण

4. आया वाद वादीगण के वाद कारण के अभाव में वाद खारिज किया जाने योग्य है।

प्रतिवादीगण

5. आया पूर्व के रोशनी में वादीगण द्वारा प्रस्तुत नया दावा रेसज्यूडिकेटा से बाधित है अथवा नही।

वादीगण

6. आया न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटा के यहॉ चले पूर्व वाद का व उसमें पारित आदेश व प्रकिया का प्रस्तुत वाद पर क्या असर है।

प्रतिवादी

उपरोक्त तनकीयात नं0 1, 2, 3, 4 निर्णित की जाकर दिनांक 24.05.2018 को प्रकरण में निर्णय पारित किया गया। उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रतिवादी नं0 12 लगायत 25 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 24.05.2018 निरस्त कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ पेश दस्तावेजात एवं वादीगण को कोई दस्तावेज पेश करने का अवसर प्रदान करते हुये अतिरिक्त तनकी कायम कर नये सिरे से विधि सम्मतत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करने के निर्देश सहित प्राप्त हुई।

वादीगण की ओर से अतिरिक्त साक्ष्य पेश नही किये गये है।

साक्ष्य प्रतिवादी में हरलाल पुत्र नारायण, मनोहर पुत्र बिहारीलाल, मोतीलाल पुत्र श्रीकिशन का शपथ पत्र पेश हुआ। दस्तावेज प्रदर्श डी 1 आदेशिका, प्रदर्श डी 2 निर्णय 06.02.90, प्रदर्श डी 3 डिक्री 06.02.90, प्रदर्श डी 4 बंटवारा प्रस्ताव 06.09.91, प्रदर्श 5 बंटवारा प्रस्ताव 23.08.91, प्रदर्श 6 प्रार्थना पत्र वास्ते फाइनल डिक्री जारी किये जाने, प्रदर्श 7 दावा, प्रदर्श 8 जवाब दावा, प्रदर्श डी 9 और प्रदर्श डी 10 न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा की आदेशिका व रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र किये गये।

उक्तानुसार बाद प्रकरण में कायम की गई अतिरिक्त तनकीवार निर्णय की ओर अग्रसर होते हैं:–

5. आया पूर्व के रोशनी में वादीगण द्वारा प्रस्तुत नया दावा रेसज्यूडिकेटा से बाधित है अथवा नही।

वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

6. आया न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटा के यहॉ चले पूर्व वाद का व उसमें पारित आदेश व प्रकिया का प्रस्तुत वाद पर क्या असर है।

प्रतिवादी

उपरोक्त दोनो तनकीयात एक दूसरे से परस्पर सम्बंधित होने से एक साथ निर्णत की जा रही है। प्रतिवादी नं0 12 लगायत 25 की ओर से दस्तावेज प्रदर्श डी 1 आदेशिका, प्रदर्श डी 2 निर्णय 06.02.90, प्रदर्श डी 3 डिकी 06.02.90, प्रदर्श डी 4 बंटवारा प्रस्ताव 06.09.91, प्रदर्श 5 बंटवारा प्रस्ताव 23.08.91, प्रदर्श 6 प्रार्थना पत्र वास्ते फाइनल डिकी जारी किये जाने, प्रदर्श 7 दावा, प्रदर्श 8 जवाब दावा पेश किये है। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि उभयपक्षकारान के मध्य विवादित आराजी के सम्बंध में पूर्व में वाद न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा में दायर किया गया था जिसमें दिनांक 06.02.90 को प्राथमिक डिकी जारी की गई एवं विभाजन प्रस्ताव भी प्राप्त किया जा चुका था ।वादीगण के पिता द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटा के यहां प्रस्तुत उक्त वाद उनके अनुपस्थित रहने के कारण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज फरमाया जा चुका है। वादीगण द्वारा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किये गये उक्त वाद को रेस्टोर कराने के स्थान पर विवादित आराजी के सम्बंध में नवीन वाद पत्र पेश किया है। प्रदर्श डी 9 और प्रदर्श डी 10 न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा की आदेशिका व रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह तथ्य भी दर्शित होता है कि न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटा में पूर्व में जैरकार प्रकरण के रेस्टोरेशन हेतु प्रार्थना पत्र रेस्टोर किये जाने वाद प्रस्तुत किया जा चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रतिपादित किया है कि Proceedings for final decree can be initiated at any point of time as there is no limitation-When no limitation stands prescribed, It would be inappropriate for a court to supplement the legislature's wisdom by its own and provide a limitation. चूंकि फाइलन डिकी के लिए कोई सीमा निर्धारित नही है एवं पूर्व वाद के रेस्टोरेशन के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटा में प्रस्तुत किया जा चुका है जिस कारण से एक ही आराजी के सम्बंध में एक से अधिक वाद होने के कारण हस्तगत दावा रेसज्यूडिकेटा से बाधित है। जिस कारण से हस्तगत प्रकरण रेसज्यूडिकेटा से बाधित होने के कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत नया वाद पत्र मेन्टेबल नही होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः तनकी नं0 5 वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 13/5/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा